



सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX
हैदराबाद । आयुक्तालय HYDERABAAD । COMMISSIONERATE
केंद्रीय शुल्क भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
KENDRIYA SHULK BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAAD-500004
☎ - 040-23212072 (Telefax)

दिनांक Date : 28.09.2011

स्थाई आदेश STANDING ORDER No.06/2011

सामान्य General No.06/2011

विषय: ए सी ई एस- केन्द्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क में ऑटोमेशन- हैदराबाद ।
आयुक्तालय-संबन्धित

Sub:- ACES – Automation in Central Excise and Service Tax – Hyderabad-I
Commissionerate – Reg.

*** **

केन्द्रीय उत्पाद व सेवा कर (एसेस) के ऑटोमेशन पर पहले से उपलब्ध
मॉड्यूलों के अलावा निम्नलिखित मॉड्यूलें भी उपलब्ध हैं।

- > धन वापसी (REF)
- > अनंतिम निर्धारण के लिए अनुरोध (PRA)
- > निर्यात (EXP)
- > विवाद निवारण (DSR)
- > लेखा परीक्षा (AUD)

In addition to the already available modules on Automation of Central Excise &
Service Tax (ACES), the following modules are available.

- Refunds (REF)
- Requests for Provisional Assessment (PRA)
- Exports (EXP)
- Dispute Resolution (DSR)
- Audit (AUD)

02. केन्द्रीय शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि विभाग को 100% ई-
नियंत्रित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिनांक 01.10.2011 से सभी एसेस मॉड्यूलों
का अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाया जाये । सभी उपभोक्ताओं के लिए यानि विभाग और
निर्धारितियों के लिए एसेस मॉड्यूलों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

The Central Board of Excise and Customs has taken a decision for mandatory
usage of all ACES modules w.e.f. 01.10.2011 for realizing the goal of 100% e-
governance in the department. The usage of ACES has been made mandatory by all
the users, i.e., both departmental and the assessees.

03. उपर्युक्त विषय पर जारी व्यापार सूचना सं. 08/2011 सामान्य 08/2011(एसेस) दिनांक 27.09.2011 की प्रतिलिपि इसके साथ सूचना, मार्ग निर्देश और कड़ाई से पालन के लिए संलग्न है।

03. A copy of the Trade Notice No.08/2011 / General No.08/2011(ACES), dated 27.09.2011, issued on the above subject, is enclosed herewith for information, guidance and strict compliance.

अनु: यथोपरी

Encl: As above

१८० ११८० ४१११
३१ ९/११
(एस एन साहा S.N.SAHA)
आयुक्त /COMMISSIONER

प्रति To

वितरण सूची II के अनुसार As per Distribution List-II
(Issued from file C.No.IV/16/18/2011-C.Ex.,Tech.II/Hyd.I)